गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2017 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2017 को सायं 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
3.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
4.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
5.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
6.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो. एम.के. सिंह	सदस्य
8.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
9.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
10.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
11.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
13.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
14.	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.2017 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 Disabled perons के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर Equal opportunity Cell (EOC) स्थापित करने हेतु।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अभी इस विषय को स्थगित रखा जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस योजना के संबंध में वस्तुस्थिति युक्त जानकारी प्राप्त करके समिति की भविष्य की बैठकों में विषय प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र. 03 B.Com. L.L.B.-IV Sem. के Constitutional History विषय की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से असंतुष्ट होने तथा उत्तर पुस्तिका का Scrutiny करने के संबंध में।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संबंधित छात्र को बुलाकर अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं एक अन्य विषयानुकुल शिक्षक के समक्ष छात्र को उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराया जाये एवं प्रकरण का निराकरण किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा के लिये प्रचलित प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही संपादित कर ली जावे।

विषय क्र. 04 **केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की परिनियम 1(i) के प्रावधानानुसार कुलाधिपति की नियुक्ति हेतु कार्य परिषद् द्वारा सूची प्रस्तावित किये जाने की सूचना ग्रहण करना।**

स्थायी समिति ने सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 05 **केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन पश्चात् नवीन परिनियमों एवं संशोधनों पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित परिनियम प्रारूपों का विधिक परीक्षण करा लिया जाये एवं परीक्षणोपरान्त ही प्रारूपों को कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता 03 दिवसों के भीतर नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों से परिनियमों के प्रारूपों पर अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 06 **Creation of Chair हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश के संबंध में।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रथमतः चेयर स्थापना संबंधी प्रावधानों की वर्तमान स्थिति/प्रभावी होने संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त की जाये एवं जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त विषय स्थायी समिति के समक्ष विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र. 07 **प्री पी.एच.डी. कोर्स वर्क (शिक्षा) की Skill Development in Educational Research विषय की उत्तर पुस्तिका के गलत मूल्यांकन होने तथा प्रकरण पर पुनर्विचार कर न्याय प्रदान करने संबंधी।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रकरण की तथ्यात्मक जानकारी एवं प्रकरण पर हुये विलम्ब के संबंध में जानकारी एकत्र करने तथ्यात्मक जांच समिति गठित की जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित करने हेतु माननीय कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

नोट– यह निर्णय लिये जाने के दौरान प्रो0पी.के. बाजपेयी बैठक में उपस्थित नहीं थे।

विषय क्र. 08 **डॉ0 सुजीत मिश्रा के निलंबन अवधि में शोध ग्रंथ के दस्तावेजों में किये गये हस्ताक्षर की सूचना एवं निलंबन अवधि में जारी किये गये दस्तावेजों के मान्यता पर विचार बाबत्।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ0 सुजीत मिश्रा के द्वारा निलम्बन अवधि में कृत हस्ताक्षरयुक्त शोध ग्रंथ को स्वीकार कर लिया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यह अधिसूचित किया जाये कि शोधार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी शिक्षक निलंबन अवधि में उनके अधीन शोधरत् शोधार्थी के शोध ग्रंथ अथवा शोध कार्यों से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा ऐसे दस्तावेज सदैव मान्य किये जायेंगे एवं स्वीकार योग्य होंगे।

विषय क्र. 09 **अध्ययन मंडल फार्मेसी संस्थान द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि केवल पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाये प्रस्तावित अध्यादेश प्रारूप अथवा नियम प्रारूप का अनुमोदन ना किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष, अध्यादेश/नियम संशोधन संबंधी प्रस्ताव पृथक से प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 10 **प्रौद्योगिकी संस्थान में नियुक्त शिक्षको द्वारा, सी.ए.एस. के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करने हेतु वांछित तीन वर्ष की छूट संबंधी।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि दिनांक 15.01.2009 के पहले अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशालाओं के पात्र शिक्षकों को AICTC के प्रावधानों के अधीन पदोन्नति/क्रमोन्नति प्रदान कर दिया जाये तथा आवश्यकतानुसार 03 साल का ग्रेस पीरियड प्रदान कर दिया जाये। यह ग्रेस पीरियड स्थायी समिति के इस निर्णय के प्रसारण हेतु जारी अधिसूचना तिथि से प्रदान की जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शेष प्रकरणों के निराकरण के लिए नीति निर्धारण का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए एक विद्वत समिति गठित की जाये एवं समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 11 **विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं विभागों के गठन संबंधी परिनियम पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यह विषय स्थगित रखा जाये।

विषय क्र. 12 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत सेन्टर फार इन्डेन्जर्ड लेंग्वेज में कम्प्यूटेशनल लिंग्वेस्टिक का पाठ्यक्रम की अनुमति संबंधी प्रकरण पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान की राशि प्राप्त होने के उपरांत प्रस्तावित पाठ्यक्रम को चलाने संबंधी कार्यवाही संपादित की जाये।

विषय क्र. 13 **मानद आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों तथा अभ्यागत अध्येताओं के वेतन/मानदेय/ परिलब्धियों पर विचार संबंधी।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विषय के संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों के प्रचलित प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अवलोकनोपरान्त उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित की जाये। समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

अ.अ.वि.क्र 1 प्रो0 पी.के. बाजपेयी के प्रस्ताव पर उनके द्वारा तैयार किये जा रहे विकास प्रस्तावों के लिये आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अधिष्ठाताओं की सलाहकार समिति बनाने का निर्णय लिया गया।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष